न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2023(GCMS 2023/176)
(आरटीआई नं. 212563339113165)

श्री कुलदीप सिंह पुत्र अमर चंद निवासी 55 नजदीक कन्या स्कूल एएसएस, हनुमानगढ़ पिन–335511

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

19.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कुलदीप सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.07.2023 के द्वारा तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ़ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कुलदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> कृपया सूचना दे कि एक ही राजस्व गांव में एक ही खाता संख्या एवं एक ही खसरा संख्या में अलग अलग खाता धारक अथवा काश्तकार की नामान्तरकरण संख्या किस किस परिस्थिति में एक हो सकती है।

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/3489 दिनांक 31.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री कुलदीप सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मं वर्णित सूचना कार्यालय पत्रांक 3170 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अपीलार्थी (प्रार्थी) को सूचना भिजवाई जा चुकी है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/3170 दिनांक 05.10.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि एक ही राजस्व ग्राम में एक खाता/खसरा में अलग सहखातेदारान का न्यायालय के आदेश अथवा सहमति से खाता विभाजन करने पर नामान्तरण संख्या एक हो सकती है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष** तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार** तहसीलदार **(राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार **(राजस्व), सूरतगढ़** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर